राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

पत्रांकः प.1(1)चि.स्वा./गुप–2/2020 जयपुर, दिनांकः 10.10.2020

आदेश

राज्य में कोविड–19 संक्रमण की परिस्थिति के दृष्टिगत राज्य के समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों के समस्त विभागों में कार्यरत सभी रेजीडेन्ट चिकित्सकों एवं सीनियर रेजीडेन्ट चिकित्सको को आवश्यक रूप से डेडीकेटेड कोविड हॉस्पिटल अथवा माईक्रोबाईलोजी लैब में कार्य कर Pratical Experience लेना आवश्यक होगा। इस हेतु इनकी सेवाऐं केवल संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सा संस्थानों तक ही सीमित नहीं रखी जाकर राज्य के किसी भी जिले में स्थापित डेडीकेटेड कोविड हॉस्पिटल, सामान्य चिकित्सालय, सैटेलाईट अस्पताल तथा माईक्रोबॉयलोजी लैब पर रोटेशन के आधार पर 8 सप्ताह तक लिया जाना आवश्यक है। रेजीडेन्ट चिकित्सक एवं सीनियर रेजीडेन्ट चिकित्सको द्वारा डेडीकेटेड कोविड हॉस्पिटल, सामान्य चिकित्सालय, सैटेलाईट अस्पताल तथा माईक्रोबॉयलोजी लैब में की गई इन सेवाओं को इनके पाठ्यक्रम का हिस्सा माना जाएगा।

उक्त अनुसार कार्यवाही हेतु प्रदेश में स्थित सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रको के द्वारा अपने चिकित्सा महाविद्यालय के सभी विभागों में कार्यरत रेजीडेन्ट / सीनियर रेजीडेन्टस की सेवाऐं 8 सप्ताह के लिए स्वयं के महाविद्यालय से सम्बद्ध डेडीकेटेड कोविड हॉस्पिटल/ सरकार द्वारा आवंटित अन्य डेडीकेटेड कोविड हॉस्पिटल, सामान्य चिकित्सालय, सैटेलाईट अस्पताल एवं माईक्रोबॉयलोजी लैब में रोटेशन के आधार पर ली जाए।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. सरकार, जयपुर
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय।
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज. सरकार, जयपुर
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. मिशन निदेशक, एन. एच. एम. राजस्थान।
8. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
9. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान।
10. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज. ।
12. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
13. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
14. निजी/कम्प्यूटर सैल/रक्षित पत्रावली।

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव